


किरम मुकदमा-वाद बाबत तकासमा आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 65 सन् 2025

हुकम या कार्यवाही मय इंगिशियल्स जज

तारीख हुकम		नम्बर व तारीख अदालत जो इस हुकम की तारीख में जारी हु
28.05.25	<p>पत्रावली रिपोर्ट होकर पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली रिपोर्ट होकर पेश हुई। प्रार्थीया कमली देवी धर्मपति रामफूल जाति मीणा निवासी ग्राम समदपुरा की ओर से अधिवक्ता श्री नन्दकिशोर शर्मा ने वकालतनामा व प्रा0पत्र ऑर्डर 1 नियम 10 व धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के पक्ष में स्वयं को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के रूप में विवादित ख0न0 249, 250, 251 के 1/12 हिस्से का खातेदार होना अंकित किया तथा उक्त वाद में आवश्यक पक्षकार बनाये जाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र ऑर्डर 1 नियम 10 व धारा 151 सी.पी.सी. का जवाब पेश न कर सीधे बहस का निवेदन किया। अधिवक्ता वादी व अधिवक्ता प्रार्थीया कमली देवी की प्रा0पत्र ऑर्डर 1 नियम 10 पर बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र ऑर्डर 1 नियम 10 व धारा 151 सी.पी.सी. के अवलोकन किया गया। प्रार्थीया कमली देवी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विवादित आराजीयात में से भूमि आराजी ख0न0 249, 250, 251 में 1/12 हिस्सा क्रय किया है। प्रार्थीया कमली देवी एक सद्भावी क्रेता है, जो की प्रकरण में आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार है। प्रकरण में हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार होने के कारण प्रार्थीया कमली देवी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रकरण में प्रार्थीया कमली देवी को पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने का आदेश दिया जाता है। संशोधित शीर्षक पेश हुआ। पत्रावली शेष प्रतिवादीगण की तलबी हेतु दिनांक 27.06.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">   <b>उप खण्ड अधिकारी</b>  <b>पीपलू (टॉक)</b> </p> <p> <del>27.6 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/अधीनस्थ/अधीनस्थ/पी.ओ. साहब राजकार्य में अस्तित्व/अधीनस्थ पर/स्थानान्तरित होने के कारण/अधीनस्थ/अधीनस्थ/अधीनस्थ अनुसार दिनांक 10.9.25 को पेश हो।</del> </p> <p> <del>10.09.25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ता वादी अधिवक्ता ने प्रकरण को Note Press किये जाने हेतु कथित किया एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। पत्रावली का अवलोकन</del> </p>	<p>नोट/प्रतिवादी/वाता/Chs</p>

बिना जाकर पत्रानली को Note Press दिया जाता है। पत्रानली निर्मित हुम्बर होकर दफ्तर काबिल है एवं निम्नानुसार नम्बर से कम है।

उप खण्ड अ (आरसी)  
बीपलू (टॉक)

मिस्टर/मिस/मैडम  
(व्यक्तिगत)

आपका पत्र प्राप्त हुआ है।  
आपका पत्र प्राप्त हुआ है।  
आपका पत्र प्राप्त हुआ है।  
आपका पत्र प्राप्त हुआ है।